राजस्थान सरकार
वित्त (नियम) विभाग

क्रमांकः एफ 12(2) वित्त/नियम/2012 जयपुर, दिनांकः 29 JUL 2016

परिपत्र

विषय :– सेवानिवृति परिलाभों के विलम्ब से भुगतान करने पर विलम्बित अवधि पर देय ब्याज के भुगतान बाबत्।

सेवानिवृति परिलाभों के भुगतान में विलम्ब पर विलम्ब अवधि के लिये ब्याज के भुगतान के संबंध में राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 89 में आवश्यक प्रावधान किये गये हैं। यदि सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान उस तारीख से, जिसको इसका भुगतान देय हो, 60 दिन के पश्चात् प्राधिकृत किया गया है, और यह सिद्ध हो जाता है कि भुगतान में विलम्ब सरकारी कर्मचारी की ओर से, इन नियमों में अन्यत्र अधिकथित प्रक्रिया का पालन करने में असफल रहने के कारण नहीं हुआ था, तो सेवानिवृत्ति परिलाभों के देय होने की तारीख से उस माह, जिसमें सेवानिवृत्ति परिलाभ प्राधिकृत किये गये हैं, के पूर्ववर्ती माह के अन्त तक 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज देय होगा।

नियमानुसार सेवानिवृत्ति परिलाभों का विलम्ब से भुगतान करने के प्रत्येक प्रकरण का कार्यालयाध्यक्ष द्वारा स्वतः परीक्षण किया जायेगा और उसे विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रशासनिक विभाग को अग्रेषित किया जायेगा तथा जहाँ प्रशासनिक विभाग को यह समाधान हो जाये कि सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान में विलम्ब प्रशासनिक कमियों या निष्क्रियता के कारण हुआ है, तो संबंधित प्रशासनिक विभाग ब्याज के भुगतान के लिए निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग को स्वीकृति जारी करेगा।

ऐसे सभी प्रकरणों में, जिनमें ब्याज का भुगतान प्रशासनिक कमियों या निष्क्रियता के कारण प्रावधित हुआ है, संबंधित प्रशासनिक विभाग उत्तरदायित्व निर्धारित करेगा और उस सरकारी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध, जो सेवानिवृत्ति परिलाभों के भुगतान में विलम्ब के लिए उत्तरदायी हैं/उत्तरदायी पाये गए हैं, राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्रवाई करेगा और पेंशनर के ब्याज का भुगतान करने के कारण सरकार को हुई हानि की वसूली उत्तरदायी ठहराये गये सरकारी अधिकारी/कर्मचारी से करेगा।

ब्याज के भुगतान के आदेश में, प्रशासनिक विभाग विलम्ब के लिए उत्तरदायी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी के नाम और उनसे वसूलनीय ब्याज की रकम का भी उल्लेख करेगा। यदि विलम्ब पेंशन विभाग के स्तर पर किया जाता है तो ऐसे विलम्ब के लिए पेंशन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व

निर्धारित किया जायेगा और पेंशनर को भुगतान किये गये ब्याज की वसूली करने हेतु दोषी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी।

यह भी ध्यान में आया है कि प्रशासनिक विभाग द्वारा सेवानिवृत्ति परिलाभों के विलम्ब से भुगतान पर देय ब्याज के भुगतान की स्वीकृति हेतु प्रकरण अनावश्यक रूप से वित्त विभाग को भिजवाये जा रहे हैं। इसी के साथ प्रशासनिक विभाग के स्तर पर ऐसे प्रकरणों में सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के उत्तरदायित्व निर्धारण में विलम्ब होने पर ब्याज के भुगतान में अधिक विलम्ब होने की स्थिति में पेंशनर माननीय न्यायालय में याचिका दायर करता है जिसके कारण अनावश्यक् न्यायिक वाद उत्पन्न होते हैं।

उपरोक्त स्थिति के मद्देनजर सभी प्रशासनिक विभागों से यह अपेक्षा है कि विलम्ब से प्रदाय किये गये पेंशनरी परिलाभों पर देय ब्याज हेतु राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 89 के प्रावधानानुसार कार्रवाई सम्पादित कर अविलम्ब ब्याज के भुगतान की स्वीकृति जारी करें। इस कार्रवाई के लिए वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं है। नियम 89 के प्रावधानानुसार सरकारी अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारण करें तथा जारी किये जाने वाले स्वीकृति आदेश में दोषी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी के नाम एवं उनसे वसूलनीय ब्याज की राशि का स्पष्ट रूप से उल्लेख आवश्यक रूप से करावें ताकि ऐसे प्रकरणों में अनावश्यक विलम्ब नहीं हो, पेंशनर को सेवानिवृति परिलाभों का विलम्ब से भुगतान होने पर नियमानुसार देय ब्याज का समय पर भुगतान हो एवं अनावश्यक न्यायिक वादों से बचा जा सके।

जिन प्रकरणों में सेवानिवृत्ति परिलाभों का विलम्ब से भुगतान करने पर ब्याज का भुगतान किया जाना निश्चित हो गया है, ऐसे सभी प्रकरणों में प्रशासनिक विभाग द्वारा सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के उत्तरदायित्व निर्धारण में अनावश्यक विलम्ब किया जाता है तो इस विलम्ब अवधि के लिए भी ब्याज की स्वीकृति जारी किये जाने के पश्चात् दोषी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए विलम्ब अवधि के ब्याज की वसूली की कार्रवाई के साथ उत्तरदायी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्रवाई प्रस्तावित की जावे।

प्रशासनिक विभाग के स्तर पर पेंशनरी परिलाभों के विलम्ब से हुए भुगतान के परिणाम स्वरूप किये जाने वाले ब्याज के भुगतान बाबत् एक रजिस्टर संधारित करते हुए सभी स्वीकृतियों का पूर्ण विवरण अंकित किया जावे तथा प्रशासनिक विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव स्तर पर आयोजित विभागीय बैठकों एवं ऑडिट समिति की बैठकों में इन प्रकरणों की समीक्षा की जावे। विभागाध्यक्ष स्तर पर भी इन प्रकरणों का संधारण किया जावे तथा महालेखाकार की लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण विभाग के अंकेक्षण के समय भी

इन प्रकरणों की जांच की जावे व वसूली योग्य राशि का प्रकरणवार उल्लेख संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदनों में किया जावे।

(नवीन महाजन)
शासन सचिव, वित (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
3. समस्त विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, मन्त्री/राज्य मन्त्री/संसदीय सचिव।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
5. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव।
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर (200 प्रतियों सहित)।
7. समस्त विभागाध्यक्ष।
8. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
10. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राजस्थान, जयपुर।
11. उपनिदेशक (सांख्यिकी), मुख्यमन्त्री कार्यालय जयपुर।
12. समस्त कोषाधिकारी।
13. कार्य एवं प्रशासन सुधार (कॉडिफिकेशन) विभाग (7 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
14. अतिरिक्त निदेशक (कम्प्यूटर सेल), वित्त विभाग।
15. समस्त अनुभाग, शासन सचिवालय।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर, 20 अतिरिक्त प्रतियों सहित (अधीनस्थ विधायन समितियों के लिए)।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।

(कीर्ति जैन)
संयुक्त शासन सचिव

(पेंशन – **6**/2016)